फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्यारेलाल पिता नारायण लाल सालवी निवासी भोपलाई तहसील राशमी वगैरा

बनाम

रतन पिता मोहन भील निवासी राशमी, तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 71/2022 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 व 8 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 व 8 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक लगभग 02 वर्ष 02 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 व 8 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए है। जबकि पूर्व पेशी दिनांक 09.05.2024 को अपीलांट्स को न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी अधिवक्ता अपीलांट्स ने आज भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 व 8 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है अर्थात् अधिवक्ता अपीलांट्स अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब नोटिस के अभाव में प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। अधीनस्थ की पत्रावली मय आदेश की प्रति के प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	